

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11.04.2022:—पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता को बार-बार
आवाज लगाई गई। वादी व उसके अधिवक्ता
उपस्थित नहीं। वादी को पूर्व में 500 कोष्ट पर भी
अवसर दिया गया था। वादी व उसके अधिवक्ता
के उपस्थित नहीं आने कारण वादपत्र वादी अदम
पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

